न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,अजमेर

(निर्णय बईजलास श्री के.के.शर्मा, आई0ए0एस0 अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, अजमेर)

अपील संख्या :–31/2009/भीलवाड़ा (2009/00009)

1. रामकरण पुत्र बालू (मृतक) जरिये वारिसानः–
   1/1– सोहनी बेवा रामकरण (फौत)
   1/2– इन्द्रा पुत्री रामकरण,
   1/3– आशा पुत्री रामकरण,
   समस्त जाति जाट, निवासी धुवाला, तह0 माण्डल, जिला भीलवाड़ा ।

अपीलांट्स

बनाम

1. श्रीमती परमेश्वरी देवी पत्नि ओमप्रकाश, जाति खटीक, नि0 सांगानेरी गेट भीलवाड़ा।
2. धन्ना पुत्र लक्ष्मण (मृतक जरिये वारिसानः–)
   2/1– रामेश्वर पुत्र धन्ना,
   2/2– सरजू पुत्री धन्ना,
   2/3– लाली पुत्री धन्ना,
3. रामचन्द्र पुत्र लक्ष्मण (लाऔलाद फौत)
4. लादू पुत्र लक्ष्मण (मृतक जरिये वारिसानः–)
   4/1– सायरी बेवा लादू,
   4/2– सुरेश पुत्र लादू,
   4/3– कमला पुत्री लादू,
5. राधाकिशन पुत्र पन्ना,
6. फुमी बेवा पन्ना,
7. बालू पुत्र गोपाल (मृतक जरिये वारिसानः–)
   7/1– रामकरण पुत्र बालू (मृतक जरिये वारिसान)
   7/1/1– सोहनी बेवा रामकरण (फौत)
   7/1/2– इन्द्रा पुत्री रामकरण,
   7/1–3– आशा पुत्री रामकरण,
   7/2– बंशी पुत्र बालू,
   7/3– घासी पुत्र बालू,
8. नन्दा पुत्र जगरूप,
   समस्त जाति जाट, निवसी धुवाला, तहसील माण्डल, जिला भीलवाड़ा ।

रेस्पोडेंट्स

अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 विरूद्ध निर्णय विद्वान उपखण्ड अधिकारी, माण्डल, जिला भीलवाड़ा दिनांक 27.6.2008 अंतर्गत प्रकरण संख्या 191/2008.

उपस्थितः–

1. श्री एम0एल0गुर्जर, वकील अपीलांट्स ।
2. श्री अजीतसिंह राठौड़, वकील रेस्पो0 संख्या 1.
3. रेस्पो0 संख्या 2 लगायत 8 अनुपस्थित ।

निर्णय

दिनांक :– 30.10.2018

अपीलांट्स ने यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, माण्डल (संक्षेप में अधीनस्थ न्यायालय) द्धारा पारित निर्णय दिनांक 27.6.2008 (संक्षेप में अपीलाधीन निर्णय) से अप्रसन्न होकर राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत इस न्यायालय में प्रस्तुत की हैं। xx

1- प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पो0 संख्या 1 श्रीमती परमेश्वरी देवी ने विद्वान उपखण्ड अधिकारी, माण्डल के न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 111 व 128 राज0भू–राजस्व अधि0 1956 के तहत विरूद्ध रेस्पो0 संख्या 2 लगायत 9 के इन कथनों के साथ प्रस्तुत किया कि मौजा धुंवाला में अवस्थित आराजी खाता संख्या 181 में आराजी संख्या 1135 रकबा 11 बिस्वा, खाता संख्या 186 में आराजी संख्या 3045/1135 रकबा 1 बिस्वा, खाता संख्या 284 में आराजी संख्या 1129 रकबा 1 बीघा 9 बिस्वा, खाता संख्या 469 में आराजी संख्या 1130 रकबा 13 बिस्वा, खाता संख्या 365 में आराजी संख्या 1131 रकबा 3 बिस्वा, आराजी संख्या 1132 रकबा 17 बिस्वा, आराजी संख्या 1133 रकबा 8 बिस्वा, आराजी संख्या 1134 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा कुल किता 8 कुल रकबा 5 बीघा 13 बिस्वा उसकी खातेदारी हक व स्वामित्व की आराजियात है । रेस्पो0 संख्या 1 ने अपने प्रार्थना पत्र में पड़ौस दर्शाते हुए कथन किया कि रेस्पो0 संख्या 1 व विपक्षीगण संख्या 2 लगायत 9 के मध्य सीमा संबंधी पुख्ता चिन्ह नहीं होने से आये दिन आराजियात की सीमा के संबंध में विवाद बना रहता है । अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर पत्थरगढ़ी के आदेश प्रदान करावे । विद्वान अधी0न्याया0 ने आदेश दिनांक 27.6.2008 द्वारा रेस्पो0 संख्या 1 का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर पत्थरगढ़ी के आदेश जारी किये । अधी0न्याया0 के इस आदेश से अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है ।

2- अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को नोटिस जारी किये गये। रेस्पोडेंट संख्या 1 उपस्थित । अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत

प्रकरण में विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स एवं रेस्पोडेंट संख्या 1 की बहस सुनी गई। । xx

3- अपीलान्ट्स के विद्वान अभिभाषक ने सर्वप्रथम अपील के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 96 जा0दी0 पर बहस करते हुए कथन किया कि प्रार्थना पत्र में दर्ज आराजियात पर पिछले 40 वर्षो से कब्जा काश्त प्रार्थी का चला आ रहा है तथा प्रार्थी प्रार्थना पत्र में दर्ज आराजियात के दक्षिण दिशा का चिपता हुआ पड़ौसी काश्तकार है जिसको बिना प्रार्थना पत्र में पक्षकार बनाये व बिना सुनवाई का अवसर प्रदान किये आदेश प्राप्त किया है जिससे प्रार्थी के हितों पर विपरीत प्रभाव पड़ा है । प्रार्थी अधी0न्याया0 के आदेश से पीड़ित एवं व्यथित पक्षकार है जिसे अपीलाधीन आदेश के विरूद्ध अपील प्रस्तुत किये जाने की अनुमति दिया जाना न्यायोचित एवं आवश्यक है । अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश के विरूद्ध अपील प्रस्तुत किये जाने की अनुमति दी जावे । xx

4- विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 पर बहस करते हुए कथन किया कि अपीलांट्स अधी0न्याया0 में पक्षकार नहीं थे जिससे अपीलाधीन आदेश की जानकारी समय पर नहीं हो सकी थी । अधी0न्याया0 के आदेश की पालना में अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा मौके पर सीमांकन करवाये जाने व पत्थरगढ़ी करवाये जाने के लिये दिनांक 4.2.2009 को मौके पर आये तथा प्रार्थी को भूमि का कब्जा छोड़ने को कहा एवं विवादित भूमि अप्रार्थी ने अपनी होने का कथन करते हुए निर्णय अपने पक्ष में होने का कथन करने पर सर्वप्रथम अपीलाधीन आदेश की जानकारी हुई । तत्पश्चात् अपीलांट ने अपीलाधीन आदेश की जानकारी कर प्रमाणित प्रति हेतु आवेदन किया जिस पर दिनांक 6.2.2009 को प्रतिलिपि प्राप्त हुई । इसके उपरांत अपीलांट ने जानकारी से अंदर मियाद यह अपील प्रस्तुत की है । अपील में हुआ विलंब सद्भाविक है । अतः विलंब क्षम्य किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जावे ।

5- प्रकरण में गुणावगुण पर बहस करते हुए विद्वान वकील अपीलांट्स ने अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि रेस्पो0 संख्या 1 ने अपने प्रार्थना पत्र में आराजियात के पड़ौसी गलत दर्शाये है । प्रार्थना पत्र में वर्णित कई खसरा नंबर की आराजियात पर पिछले 40 वर्षो से अपीलांट्स काबिज काश्त चले आ रहे है तथा अपीलांटस प्रार्थना पत्र में दर्शित भूमियों का चिपता हुआ पड़ौसी है जिसका प्रार्थना पत्र में पक्षकार बनाया जाना आवश्यक था किन्तु रेस्पो0 संख्या 1 ने अपीलांट्स को पक्षकार बनाये बिना एकतरफा में अपीलाधीन आदेश प्राप्त किया है जिसे विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है । विद्वान वकील अपीलांट्स ने बहस को आगे बढ़ाते हुए कथन किया कि अधी0न्याया0 ने अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व स्वंय के स्तर पर कोई जांच नहीं की तथा मौके पर कब्जे के बाबत् भी कोई जांच नहीं की । रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा प्रार्थना पत्र में दर्शित आराजियात के दक्षिण दिशा में अपीलांट की चिपती हुई खातेदारी की आराजियात है । रेस्पो0 संख्या 1 ने सीमाज्ञान के साथ पत्थरगढी का भी निवेदन किया था एवं ऐसी स्थिति में सीमाकंन व पत्थरगढ़ी से पूर्व

पड़ौस के खातेदारान को प्रार्थना पत्र में पक्षकार बनाया जाना चाहिये था किन्तु रेस्पो0 संख्या 1 ने ऐसा नहीं किया जिससे रेस्पो0 संख्या 1 का प्रार्थना पत्र अधी0न्याया0 के समक्ष संधारण योग्य नहीं था । अतः अपील अपीलांटस स्वीकार कर अधी0न्याया0 का आदेश दिनांक 27.6.2008 अपास्त किया जावे ।

6- विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 1 ने जवाब बहस में कथन किया कि विद्वान अधी0न्याया0 का आदेश विधिसम्मत् है । ग्राम धुंवाला तहसील माण्डल के खाता संख्या 181 में आराजी संख्या 1135 रकबा 11 बिस्वा, खाता संख्या 186 के आराजी संख्या 3045/1135 रकबा 1 बिस्वा, खाता संख्या 284 के आराजी संख्या 1129 रकबा 1 बीघा 9 बिस्वा,खाता संख्या 469 में आराजी संख्या 1130 रकबा 13 बिस्वा, खाता संख्या 365 में आराजी संख्या 1131 रकबा 3 बिस्वा, आराजी संख्या 1132 रकबा 17 बिस, आराजी संख्या 1133 रकबा 8 बिस्वा, आराजी संख्या 1134 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा कुल किता 8 कुल रकबा 5 बीघा 13 बिस्वा भूमि रेस्पो0 संख्या 1 की खातेदारी हक व स्वामित्व की है जिसके पूर्व में तालाब की मोहरी एवं विपक्षी रेस्पो0 संख्या 2 लगायत 6 की आराजी, पश्चिम में सरकारी चारागाह भूमि, उत्तर में गै0मु0पाल महकमा सिचांई विभाग एवं दक्षिण में रेस्पो0 संख्या 7 व 8 की आराजी स्थित है । रेस्पो0 संख्या 1 अपनी खातेदारी आराजियात का सीमांकन एवं पत्थरगढ़ी कराने का अधिकारी है । विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 1 ने बहस में आगे कथन किया कि अपीलांटस ने अपंजीकृत इकरारनामे के आधार पर स्वंय को केता होना बताकर अपील में आये है जिससे उन्हें अपीलाधीन आदेश के विरूद्ध अपील प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं है । अपीलांटस इकरारनामे के आधार पर कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं होते है एवं अपीलांट अतिक्रमी की श्रेणी में ही माना जावेगा । सीमाज्ञान के आदेश से अपीलांट व्यथित पक्षकार नहीं हो सकते है । विद्वान वकील रेस्पो0 ने बहस में यह भी कथन किया कि बरवक्त निर्णय अपीलांट खातेदार काश्तकार नहीं था जिससे उसे पक्षकार नहीं बनाया गया है । अधी0न्याया0 द्वारा विधिसम्मत् रूप से सीमाज्ञान एवं पत्थरगढ़ी के आदेश पारित किये है जिसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है । अतः अपील अपीलांटस खारिज की जावे। विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 1 ने अपने कथनों के समर्थन में आर0आर0डी0 2008 पेज 850, आर0आर0टी0 2009 (1) पेज 638, आर0आर0डी0 1997 पेज 68, आर0आर0डी0 1992 पेज 99 एवं 421 एवं 648, आर0बी0जे0 2015 पेज 639, आर0आर0टी0 2005 (2) पेज 774 के न्यायिक दृष्टांत पेश किये ।

7- हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं आधार अभिलखों, अधी0न्याया0 के निर्णय का अवलोकन किया तथा अपीलांट के विद्वान अभिभाषक की एकपक्षीय बहस पर मनन किया । हम सर्वप्रथम अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 96 जा0दी0 एवं धारा 5 मियाद अधि0 का निस्तारण करना उचित समझते है । अपीलांटस ने अपने प्रार्थना पत्र धारा 96 जा0दी0 में कथन किया है कि अपीलांटस रेस्पो0 संख्या 1 की विवादित

आराजियात के पड़ौसी काश्तकार है जिन्हें रेस्पो0 संख्या 1 ने अधी0न्याया0 में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में पक्षकार नहीं बनाया है जबकि अपीलांट्स को पड़ौसी काश्तकार होने से सीमाज्ञान के प्रकरण में सुना जाना आवश्यक था। इस संबंध में पत्रावली का अवलोकन किया गया । अपीलांट्स ने इकरारनामे से आराजी क्रय करना अपने अपील मीमों में अंकित किया है । अपीलांट्स को अपंजीकृत इकरारनामे के आधार पर क्या हक व अधिकार प्राप्त होते है इसका निर्णय करने का अधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं है। पत्रावली के अवलोकन से यह पूर्णतया स्पष्ट है कि वर्तमान में अपीलांट्स रेस्पो0 संख्या 1 की आराजियात के पड़ौस का रिकार्डेड खातेदार काश्तकार नहीं है इसलिये रेस्पो0 संख्या 1 की खातेदारी आराजियात बाबत् सीमाज्ञान एवं पत्थरगढ़ी के आदेश से पीड़ित एवं व्यथित पक्षकार की श्रेणी में भी नहीं आते है । अपीलांट्स ने ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया है जिससे यह साबित हो कि अपीलांट्स रेस्पो0संख्या 1 की खातेदारी आराजियात के रिकार्डेड पड़ौसी काश्तकार हो । उक्त तथ्यों के अभाव में अपीलांट्स को पीड़ित एवं व्यथित पक्षकार की श्रेणी में नहीं माना जा सकता है तथा अपीलांट्स को अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.6.2008 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत करने की अनुमति दिया जाना भी न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है । उपरोक्त विवेचन के क्रम अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 96 जा0दी0 अपास्त किया जाता है ।

–:क्रियात्मक आदेशः–

8- अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 96 अपास्त किये जाने से अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत अपील संख्या 31/2009 (2009/00009) बउनवानी रामकरण बनाम श्रीमती परमेश्वरी देवी को अपास्त किया जाता है तथा विद्वान उपखण्ड अधिकारी, माण्डल द्वारा प्रकरण संख्या 191/2008 में पारित निर्णय दिनांक 27.6.2008 को यथावत् रखा जाता है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(के.के.शर्मा)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
अजमेर

9- आदेश आज दिनांक 30.10.2018 को मेरे द्धारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(के.के.शर्मा)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
अजमेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Kishore Kumar Sharma
Date: 2018.11.01 17:29:22 IST
Reason: SelfAttested
Location: